(4)

न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा

पीठासीन अधिकारी : पार्थवी, R.A.S.

प्रकरण संख्या : 76 / 21 **GCMS id :** 2021 / 120

1. बिहारीलाल पुत्र गोपाल, जाति मीणा, निवासी ग्राम अरनिया, तहसील लाडपुरा, कोटा
2. मदारी उर्फ बनवारी पुत्र गोपाल, जाति मीणा, निवासी ग्राम अरनिया, तहसील लाडपुरा, कोटा
3. मुरारी लाल पुत्र गोपाल, जाति मीणा, निवासी ग्राम अरनिया, तहसील लाडपुरा, कोटा

— (वादीगण)

बनाम

1. लटूरलाल पुत्र गोपाल, जाति मीणा, निवासी ग्राम अरनिया, तहसील लाडपुरा, कोटा
2. बाबूलाल पुत्र गोपाल, जाति मीणा, निवासी ग्राम अरनिया, तहसील लाडपुरा, कोटा
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, लाडपुरा, जिला कोटा

— (अप्रार्थीगण)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट
बाबत विभाजन आराजी

उपस्थिति : श्री राकेश सुवालका, अभिभाषक वादीगण
श्री महावीर सेन, अभिभाषक प्रतिवादीगण

सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा

निर्णय

दिनांक : 29.04.2022

1- वादीगण की ओर से जर्ये अभिभाषक एक दावा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बाबत विभाजन आराजी, पेश किया गया।

2- *वादिनी द्वारा अपने वादपत्र अन्तर्गत 53 R.T.A. में निवेदन किया गया कि —*

≈ वादीगण एवं प्रतिवादीगण आपस में सगे भाई है।

≈ ग्राम अरनिया, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 162, 174, 231, 348, 349 कुल किता 5 रकबा 8.86 हैक्टर स्थित है।

≈ वादीगण व प्रतिवादीगण ने आपसी सहमति से अपने 1/5, 1/5 हिस्से का पारिवारिक बंटवारा कर लिया है तथा उसी के अनुसार अपने अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त है।

≈ उपरोक्त आराजी का विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। विवादित आराजी आज भी संयुक्त खातेदारी में दर्ज है जिसकी वजह से लगान, सिंचाई कर आदि जमा कराने के लिये वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य विवाद उठता रहता है। इस कारण वादीगण विवादित आराजी का बंटवारा करवाकर अलग अलग खाते में दर्ज करवाना व लगान आदि तय करवाना आवश्यक हो गया है।

≈ वादीगण को अपने अपने हिस्से की आराजीयात पर अच्छी उन्नत खेती योग्य बनाने के लिये आराजीयात का कानूनन बंटवारा करवाकर खाता पृथक करवाना आवश्यक है। इस कारण वादीगण द्वारा यह बंटवारा का दावा पेश किया जा रहा है।

≈ वाद कारण अन्तिम बार 03.05.2010 को उत्पन्न हुआ है जब राजस्व कर्मचारियों के द्वारा खाता पृथक करने से मना कर दिया गया व वाद पेश करने को कहा गया।

≈ अतः वाद पेश निवेदन है कि

≈ ग्राम अरनिया, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 162, 174, 231, 348, 349 कुल किता 5 रकबा 8.86 हैक्टर का 1/5, 1/5 हिस्से के अनुसार अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी आराजीयात की बंटवारा की डिक्री पारित की जावे तथा पृथक पृथक खाता दर्ज कर पृथक लगान कायम किया जावे।

सहायक कलक्टर
(मुख्यालय) कोटा

(5)

दौराने वाद वादीगण एवं द्वारा मय अभिभाषक न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया – राजीनामा के कथन में सक्षेप में इस प्रकार है –

~ ग्राम अरनिया, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा के इस प्रकरण की विवादित आराजी का हम पक्षकारों के मध्य निम्न प्रकार से राजीनामा हो गया है – इसके अनुसार ....

~ लटूर, बाबू पुत्र गोपाल, जाति मीणा के खाते आराजी खसरा नम्बर 349 की 1.81 हैक्टर, खसरा नम्बर 174 की 0.57 हैक्टर, खसरा नम्बर 348 की 0.04 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 162 की 6.23 हैक्टर में से 1.12 हैक्टर दर्ज की जावेगी।

~ बिहारीलाल पुत्र गोपाल, जाति मीणा के खाते खसरा नम्बर 162 की 6.23 हैक्टर में से 1.56 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 231 की 0.21 हैक्टर दर्ज की जावेगी।

~ मुरारी पुत्र गोपाल, जाति मीणा के खाते खसरा नम्बर 162 की 6.23 हैक्टर में से 1.77 हैक्टर दर्ज की जावेगी।

~ मदारी पुत्र गोपाल, जाति मीणा के खाते खसरा नम्बर 162 की 6.23 हैक्टर में से 1.77 हैक्टर दर्ज की जावेगी।

~ अतः राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम अरनिया के खसरा नम्बर 162 का उक्त राजीनामा अनुसार पक्षकारान के खाते दर्ज कर डिक्री जारी किये जाने की आज्ञा दी जावे।

4- उक्त राजीनामा पेश कर उभयंपक्षकारान ने राजीनामा अनुसार दावे का निस्तारण किया गया। प्रत्येक पक्षकार द्वारा अपनी अपनी पहचान के दस्तावेज पेश किये जिनका मूल दस्तावेजात से मिलान किया गया। राजीनामे पर सभी पक्षकारान की सहमति बाबत जानकारी प्राप्त कर गई। अतः राजीनामा तस्दीक किया जाकर राजीनामानुसार ग्राम अरनिया, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 162, 174, 231, 348, 349 कुल किता 5 रकबा 8.86 हैक्टर का विभाजन किया जाकर –

⇒ आराजी खसरा नम्बर 349 की 1.81 हैक्टर, खसरा नम्बर 174 की 0.57 हैक्टर, खसरा नम्बर 348 की 0.04 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 162 की 6.23 हैक्टर में से 1.12 हैक्टर लटूर, बाबू पुत्र गोपाल, जाति मीणा के खाते,

⇒ आराजी खसरा नम्बर 162 की 6.23 हैक्टर में से 1.56 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 231 की 0.21 हैक्टर बिहारीलाल पुत्र गोपाल, जाति मीणा के खाते,

⇒ आराजी खसरा नम्बर 162 की 6.23 हैक्टर में से 1.77 हैक्टर मुरारी पुत्र गोपाल, जाति मीणा के खाते एवं

⇒ आराजी खसरा नम्बर 162 की 6.23 हैक्टर में से 1.78 हैक्टर मदारी पुत्र गोपाल, जाति मीणा के खाते

पृथक पृथक दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। प्रकरण में राजीनामा अनुसार सहमति से विभाजन होने के कारण सीधे ही फाईनल डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया। तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा को निर्णयानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

5- निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 29 अप्रेल, 2022 को मेरे द्वारा लिखवाया और टंकित करवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(पार्थवी)
सहायक कलेक्टर,
(मुख्यालय) कोटा

सहायक कलेक्टर (मुख्यालय) कोटा

6

फाईनल डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा

पीठासीन अधिकारी : पार्थवी, R.A.S.

बउनवान –

1. बिहारीलाल पुत्र गोपाल, जाति मीणा, निवासी ग्राम अरनिया, तहसील लाडपुरा, कोटा
2. मदारी उर्फ बनवारी पुत्र गोपाल, जाति मीणा, निवासी ग्राम अरनिया, तह. लाडपुरा, कोटा
3. मुरारी लाल पुत्र गोपाल, जाति मीणा, निवासी ग्राम अरनिया, तहसील लाडपुरा, कोटा

– (वादीगण)

बनाम

1. लटूरलाल पुत्र गोपाल, जाति मीणा, निवासी ग्राम अरनिया, तहसील लाडपुरा, कोटा
2. बाबूलाल पुत्र गोपाल, जाति मीणा, निवासी ग्राम अरनिया, तहसील लाडपुरा, कोटा
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, लाडपुरा, जिला कोटा

– (अप्रार्थीगण)

दावा बाबत : 53 RTA
मुकदमा नम्बर : 76 / 21
निर्णय दिनांक : 29-04-2022

न्यायालय हाजा में वादीगण की ओर से विद्वान वादी अभिभाषक श्री राकेश सुवालका एवं विद्वान प्रतिवादी अभिभाषक श्री महावीर सेन एवं पक्षरान की उपस्थिति में पेश राजीनामा अनुसार आज तारीख 29–04–2022 को (डिक्रीदार) पीठासीन अधिकारी **पार्थवी, आर.ए.एस.** के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर राजीनामानुसार वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर ग्राम अरन्या, पटवार हल्का, चारणहेडी, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की निम्नानुसार आराजी अलग–अलग खाते में दर्ज कर राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करने के आदेश प्रदान किये जाते है।

क्र. सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	दिशा
1	लटूर, बाबू पुत्रान गोपाल, जाति मीना, सा देह खातेदार	162 174 348 349	1.12 हैक्टर 0.57 हैक्टर 0.04 हैक्टर 1.81 हैक्टर	बारानी प्रथम बारानी द्वितीय गै.मु.चाह व आबादी चाही द्वितीय जाव द्वितीय	दक्षिण पूर्व सम्पूर्ण सम्पूर्ण सम्पूर्ण
	योग	**किता 4**	**3.54 हैक्टर**		
2	बिहारी पुत्र गोपाल, जाति मीना, सा देह खातेदार	162 231	1.56 हैक्टर 0.21 हैक्टर	बारानी प्रथम खेडा	पश्चिम सम्पूर्ण
	योग	**किता 4**	**1.77 हैक्टर**		
3	मदारी पुत्र गोपाल, जाति मीना, सा देह खातेदार	162	1.78 हैक्टर	बारानी प्रथम	उत्तरी
	योग	**किता 1**	**1.78 हैक्टर**		
4	मुरारी पुत्र गोपाल, जाति मीना, सा देह खातेदार	162	1.77 हैक्टर	बारानी प्रथम	मध्य पश्चिमी
	योग	**किता 1**	**1.77 हैक्टर**		

डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया। तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा को आदेशानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।
– खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

यह अन्तिम डिक्री आज तारीख 29.04.2022 को मेरे द्वारा लिखवाई और टंकित करवाई जाकर मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

Parthvi
(पार्थवी)
सहायक कलक्टर
(मुख्यालय) कोटा

सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा

वाद के खर्चे

	वादी	रुपया		प्रतिवादी	रुपया
1.	वाद पत्र के लिये स्टाम्प		1.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	
2.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प		2.	अर्जी के लिये स्टाम्प	
3.	अदर्शो के लिये स्टाम्प		3.	प्लीडर के लिये फीस	
4.	.... रुपये पर प्लीडर की फीस		4.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय	
5.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय		5.	आदेशिका की तामिल	
6.	कमिश्नर की फीस आदेशिका की तामिल		6.	कमिश्नर की फीस	
	जोड			जोड	

(5)
(3)

राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय), कोटा

पीठासीन अधिकारी : **पार्थवी**, R.A.S.

प्रकरण संख्या : 76/21

बउनवान :– बिहारीलाल बनाम लदूरलाल

आदेश

अन्तर्गत धारा 152 सिविल प्रक्रिया संहिता

दिनांक : 12.05.2022

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 152 के अन्तर्गत किसी निर्णय/डिक्री/आदेश में लेखन या गणित सम्बन्धी भूल या किसी आकस्मिक भूल या लोप से उसमें हुई लिपिकीय त्रुटियों की न्यायालय द्वारा स्वप्रेरणा से या पक्षकारों में से किसी के आवेदन पर किसी भी समय शुद्धि किये जाने के प्रावधान विद्यमान है।

अतः सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 152 के प्रावधान अनुसार न्यायालय से निर्णित प्रकरण संख्या 76/21 बउनवान बिहारीलाल बनाम लदूरलाल वगैरहा की डिक्री दिनांक 29.04.2022 के प्रथम पैरा की 4जी पंक्ति के अन्तिम शब्द में लिपिकीय त्रुटिवश अंकित 'चारणहेडी' को ''गोदल्याहेडी'' पढे जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा

(पार्थवी)
सहायक कलक्टर,
(मुख्यालय), कोटा

सहायक कलक्टर
(मुख्यालय) कोटा

अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी आराजीयात की बंटवारा की डिक्री पारित का जावे तथा पृथक पृथक खाता दर्ज कर पृथक लगान कायम किया जावे।

सहायक कलक्टर
(मुख्यालय) कोटा
ACM (HQ), Kota